



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौचहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI



फाइल नंबर: 26-12/9/2022-एनए-डीजीएस

दिनांक: 01.11.2023

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 10/2023

विषय: पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) – भारतीय पोतगाहों में प्रदूषण रहित ईंधन वाले जलयानों के निर्माण का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता – संबंधी।

भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय पोतगाहों के लिए पोतनिर्माण वित्तीय सहायता की नीति आरंभ की है ताकि देश के भीतर के अलावा निर्यात आदेशों के लिए वित्तीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान की जाए। यह नीति उन पोतनिर्माण संविदाओं पर लागू है जिन पर अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. वित्तीय सहायता नीति में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जलयानों की डिलीवरी दिए जाने पर भारतीय पोतगाहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित "पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश (समेकित और 23 अगस्त, 2023 को यथा संशोधित रूप में)" के अनुसार सभी आवेदनों को प्रक्रियायित किया जाएगा।

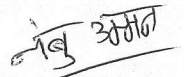
3. इस नीति से भारतीय पोतगाहों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से पोतनिर्माण के आदेश पाने में सहायता मिलेगी, कारण वित्तीय सहायता है जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

4. वित्तीय सहायता हेतु पोतगाहों से प्राप्त आवेदनों पर वैबसाइट <https://www.shipbuilding.nic.in> पर कार्रवाई की जाएगी यह इस प्रयोजन हेतु एक समर्पित वैबसाइट है।

इस नीति से दिशानिर्देशों में बताए अनुसार वित्तीय सहायता की दर के अनुरूप मानक, विशेषीकृत तथा अन्य जलयानों को सहयोग मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण पहल के प्रचार-प्रसार के चलते भारत सरकार निम्नोक्त उपलब्ध करवा कर एसबीएफएपी के अंतर्गत प्रदूषण रहित ईंधन वाले जलयानों के निर्माण की पहल को बढ़ावा दे रही है:-

- उन जलयानों को 30 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रदूषण रहित ईंधनों यथा मेथानोल/अमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन सैल्स के तरीके से प्रणोदित होंगे।
- उन जलयानों को 20 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें प्रणोदन हेतु इलेक्ट्रिक साधन होंगे या जिन जलयानों पर संकर प्रणोदन प्रणाली लगी होगी।

पोतनिर्माण उद्योग से अनुरोध है कि देश में प्रदूषण रहित जलयानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की इस पहल के प्रावधानों का उपयोग करे।


(नेबू उम्मेन)

पोत सर्वेक्षक व उप नौचहन महानिदेशक(तक.)

9वीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in